

1-1-18

अधिवक्ता पत्रिका के उपरोक्त अधिवक्ता अधिवक्ता 1/1
की द्वारा दस्तावेजों की प्रतियों प्रेषण की गई जो आदेश
पत्रिका की पत्रिका अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता
किरारा की रिपोर्ट पत्रिका 24 दिनांक 10-1-18 उपखण्ड
दो-पुकी की अधिवक्ता अधिवक्ता 1/1 द्वारा अधिवक्ता 1/2
1/2 अंश 1/8 की कोर्ट आजादी पत्रिका दिनांक 25-1-18 उपखण्ड
पत्रिका के अधिवक्ता अधिवक्ता पत्रिका पत्रिका अधिवक्ता अधिवक्ता
व 25 दिनांक 25-1-18 को प्रेषण की

अति० जिला कलक्टर
दौसा

1-1-18

अधिवक्ता पत्रिका के उपरोक्त अधिवक्ता 1/2 अंश 1/8 की कोर्ट
से विनोद कुमार सिन्हा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रेषण किया गया।
अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता की वकालत सुनी गई पत्रिका का
अवलोकन किया गया एवं उपखण्ड अधिवक्ता किरारा के पत्रिका
अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य स्पष्ट
कि पत्रिका द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता किरारा
में विचारार्थी प्रकरण को देरी करने की वजह से एवं
प्रकरण को लम्बित रखने के कारण-2 प्रार्थना पत्र स्थागंतरण
पत्रिका प्रेषण की अधिवक्ता पत्रिका द्वारा प्रकरण के
अन्य न्यायालय में स्थागंतरण करने के लिए उचित कारण
प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र स्थागंतरण स्वीकार
किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं अतः न्यायालय
उपखण्ड अधिवक्ता किरारा में विचारार्थी प्रकरण सं 134/2015
एवं 58/2015 उपखण्ड कजौड वकालत हरिपाल (जिला) वकालत का
अन्य सहाय न्यायालय में स्थागंतरण किए जाने के प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र स्थागंतरण स्वीकार किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय
500 किरारा को निर्णय की गई गिलवाट पत्रिका पत्रिका
पत्रिका सुभार दोहरा नम्बर से कम दो एवं प्रत्येक लेखक प्रार्थना
निर्णय आज दिनांक 25-1-18 को उपरोक्त न्यायालय में सुनाया
गया

अति० जिला कलक्टर

